फर्द अहकाम

बनाम

	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
11.7	[illegible] प्रार्थना पत्र [illegible] [illegible] [illegible] धारा 34 [illegible] क्र.1 [illegible] 34 [illegible] [illegible] [illegible] अनु: [illegible] [illegible] [illegible] है [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] प्रार्थना [illegible] [illegible] [illegible] है अतः वादी [illegible] किया [illegible] किया जाता है [illegible] [illegible] [illegible] हो [illegible] [illegible] प्रार्थना [illegible] [illegible] हो	

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू (जयपुर)

राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट अभियान "न्याय आपके द्वार" शिविर–2017
अटल सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत गंगातीकलां, तहसील मौजमाबाद
शिविर प्रभारी – श्री त्रिलोक चन्द मीना आर.ए.एस.

राजस्व वाद–पत्र संख्या 131/2014

वाद दायरी दिनांक : 09/07/2014

निर्णय दिनांक :

नरपतसिंह पुत्र लालसिंह, जाति राजपूत, निवासी सावली, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर राज0।

-- प्रार्थी

बनाम

1. मनोज
2. दुर्गालाल
3. रामावतार
4. लालाराम

} पुत्रान ग्यारसीलाल

5. शान्तिदेवी पत्नी ग्यारसीलाल

} समस्त बालिग जाति रैगर नि. सावली, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।

6. तहसीलदार, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर राज0।

-- प्रतिवादीगण

वाद बाबत स्थायी निषेधाज्ञा
(अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955)

उपस्थिति – श्री राजेन्द्र सिंह मण्डावरी
श्री रामजीलाल शर्मा
विद्वान अधिवक्ता वादी

श्री गिरधारी लाल वर्मा
विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1ल.5

प्रतिवादी संख्या 6 की ओर से पैरोकार उपस्थित।

–: निर्णय :–

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद–पत्र इस आशय का पेश किया कि विरुद्ध प्रतिवादीगण बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि खाता संख्या 122 के आराजी जमाबन्दी सम्वत 2067 से 2070 के खाता संख्या 122 के

आराजी खसरा नम्बर 332 रकबा 0.8500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 580 रकबा 0.2300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 581 रकबा 0.2700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 583 रकबा 0.0600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 584 रकबा 0.8700 हैक्टेयर कुल किता 05 कुल रकबा 2.2800 हैक्टेयर वाके ग्राम सावली, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0 में स्थित हैं, जिसके वादी एवं उसके भाई श्रवणसिंह, मोहनसिंह, कानसिंह काबिज काश्त एवं खातेदार काश्तकार हैं तथा लगान सरकारी जमा कराते आ रहा हैं। उपर्युक्त आराजीयात वादी व उसके भाईयों की रिकार्डेड खातेदारी की आराजीयात है, जिससे प्रतिवादीगण या अन्य किसी व्यक्ति का कोई सम्बन्ध एंव सरोकार नहीं हैं। वादी अपनी उक्त आराजीयात पर मौके पर सींव मेर डालकर चारों तरफ मेडबन्दी कर शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग करता आ रहा हैं। प्रतिवादीगण जो कि आदतन अतिक्रमी किस्म के व्यक्ति हैं। जो वादी की आराजी पर भी जबरन कब्जा कर निर्माण कार्य कर वादी को बेदखल करना पर आमादा है, जिनका प्रतिवादीगण को कोई विधिक एवं नैतिक अधिकार नही हैं। वादी ने अपनी आराजीयात में काफी पैसे खर्च कर उन्नत व उपजाऊ बना रखी हैं, जिससे प्रतिवादीगण का कोई लेना देना नहीं हैं, जबकि प्रतिवादीगण जो कि आदतन अतिक्रमी किस्म के व्यक्ति है, जिसने वादी को आये दिन धमकियां दी जा रही हे कि तुम्हारी आराजीयात पर जबरन कब्जा कर तुम्हें कब्जे से बेदखल करेंगे तथा तुम्हारी आराजी में निर्माण कार्य का आराजी को अकृषि योग्य बनायेंगे, अगर तुमने कुछ किया तो तुम्हारे खिलाफ एस सी एस टी के झूंठे मुकदमें दर्ज करवा देंगे। दिनांक 01/07/2014 को वादी अपनी आराजी की सार संभाल करने हेतु गया तो तभी प्रतिवादीगण तथा अन्य 3-4 व्यक्ति वहा खड़े थे, मौके पर निर्माण सामग्री डाली हुयी थी, जब वादी ने इसका कारण पूछा तो प्रतिवादीगण ने ऐलानिया धमकी दी कि हम लाठी के जोर पर विवादित आराजी पर कब्जा कर तुम्हें कब्जे से बेदखल करेगे तथा तुम्हारी आराजी खसरा नम्बर 584 में जबरन से निर्माण कार्य करके आराजी को कृषि से अकृषि योग्य बनायेंगे, जिससे वादी को अपने हितों की रक्षार्थ यह वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत स्थायी निषेधाज्ञा पेश किया जाना लाजिमी हुआ हैं।

वादी ने वाद-पत्र के अन्य बिन्दूओं के साथ-साथ वाद कारण अंकित करते हुये दादरसी चाही कि वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री

Scanned by CamScanner

किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें कि विवादित आराजी वर्णित वाद-पत्र के पैरा संख्या 1 में वादी के कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न नही करें न वादी को कब्जे से बेदखल करें, न निर्माण सामग्री डाले, न विवादित आराजी में किसी प्रकार का निर्माण न स्वंय करें न अन्य किसी नौकर, चाकर, एजेन्ट आदि से करावें। न ही मेर सींव को तोडें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी प्रतिवादीगण जारी की गयी। दिनांक 16/09/2014 को प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 की ओर से श्री गिरधारी लाल वर्मा एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 10/04/2017 को प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 का जवाब बन्द किया गया। प्रतिवादी संख्या 6 प्रफोर्मा पक्षकार है, जिसने जवाब नही देना जाहिर किया।

दिनाक 15/05/2017 को पत्रावली न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट अटल सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत सांवली में पेश हुई। अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं हुये। अतः प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। वकील वादी ने कैम्प में उपस्थित होकर साक्ष्य पेश नही करना जाहिर किया। पत्रावली वास्ते बहस नियत की गयी।

विद्वान अधिवक्ता वादी की एकपक्षीय बहस सुनी गयी।

हमने विद्वान अधिवक्ता वादी की एकपक्षीय बहस का ध्यानपूर्वक मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात जमाबन्दी सम्वत 2067-2070 खाता संख्या 122 एवं अन्य दस्तावेजात का अवलोकन किया। अवलोकन से स्थिति इस प्रकार पायी गयी कि जमाबन्दी सम्वत 2067 से 2070 के खाता संख्या 122 का सम्पूर्ण का वादी एकमात्र् रिकार्डेड खातेदार काश्तकार हैं। वादी ने अपने वाद-पत्र में निवेदन किया है कि ''प्रतिवादीगण का विवादित आराजी से किसी प्रकार का कोई सरोकार नही है, बावजूद इसके प्रतिवादीगण वादी को उसकी आराजी पर जबरन कब्जा कर कब्जे से बेदखल कर आराजी में निर्माण कर आराजी को अकृषि योग्य बनाने की धमकियां देते हैं, इसलिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे। चूंकि वादी वादग्रस्त आराजी का एकमात्र् रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है, इसलिये रिकार्डेड खातेदार के कब्जे काश्त में दखल करने का किसी भी व्यक्ति को कोई कानूनन अधिकार नही है, ऐसी स्थिति में उपर्युक्त विवेचन से वादी का वाद डिक्री किया जाकर

Scanned by CamScanner

प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 332, 580, 581, 583, 584 कुल किता 05 कुल रकबा 2.2800 हैक्टेयर सम्पूर्ण वाके ग्राम सांवली, तहसील मौजमाबाद में वादी के कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न नही करें न वादी को कब्जे से बेदखल करें, न निर्माण सामग्री डाले, न विवादित आराजी में किसी प्रकार का निर्माण न स्वंय करें न अन्य किसी नौकर, चाकर, एजेन्ट आदि से करावें। न ही मेर सींव को तोडें। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक .... को कैम्प कोर्ट अटल सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत सांवली में मजमे आम में सुनाया गया।

मुद्रा

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
दूदू (जयपुर)

Scanned by CamScanner

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

[अ]दालत न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) मुकाम दूदू जिला जयपुर
[इजला]स त्रिलोक चन्द मीणा (आर. ए. एस.)
[रू]पसिंह पुत्र भोलासिंह बनाम (1) मनोज (2) दुर्गालाल (3) रामावतार
[जाति]-राजपूत निवासी बांवली, दावा बाबत (4) भोलाराम पुत्रान ग्यारसीलाल जाति रैगर,
[तहसील] मौजमाबाद, स्थायी निषेधाज्ञा (88) निवासी बावली, तहसील-
मुकदमा नं. 131 सन् 2014 मौजमाबाद व अन्य

[य]ह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री राजेन्द्र सिंह भण्डावरी वकील वादी श्री गिरधारी लाल वर्मा मिनजानिब मुद्दई रूबरू प्रोकार सरकार वकील प्रतिवादी 01 व 5
मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि

वादी का वाद डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी [निषेधाज्ञा] पाबन्द किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 580, 581, 583, 584, कुल किता 05 कुल रकबा 2.2800 हैक्टेयर [वाके] ग्राम बांवली, तहसील मौजमाबाद में वादी के कब्जे काश्त [में] बाधा मुवलिग उत्पन्न नहीं करे न वादी को कब्जे से बेदखल करे,

[बा]बत में के मय सूद वगैरह .... फीसदी ...... आज की तारीख से
[अदा]यगी तक .... का अदा करें।

[आज] मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख .... माह .... सन् .... को
[दिया गया] है।

दस्तखत ....
ओहदा .... सहायक कलक्टर

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
[खर्चा] दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
[वका]लत नामा			स्टाम्प अर्जी		
[तल]ब सबूत			महन्ताना वकील		
[वक]ील			खर्चा गवाहान		
			फीस कमिश्नर		
[...]र			बाबत इजराय हुक्मनामा		
[बाबत इजरा]य हुक्मनामा			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

[Stamp: सहायक कलक्टर ... दूदू (फास्ट ट्रेक)]

Scanned by CamScanner